क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

3

संदर्भ संख्याः–
Ref.No.: G0705 /O.A. No. 473/2024

दिनांकः–
Date: 12.07.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 473/2024, Sampurna Nand Vs SR Developers & Ors.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.04.2024 in the matter of O.A. No. 473/2024, Sampurna Nand Vs SR Developers & Ors., the status report is being filed herewith.

It is requested that status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

12/07/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No.473/2024 Sampurna Nand vs. SR Developers & Ors.

1. As per joint committee report dated-06.01.2024, UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said mining lease vide Letter dated-12.01.2024, which was got received by concerned project proponent (Annexure No.1).
2. As per the available records and facts observed during visit on 08.02.2024 and 09.02.2024 and recommendation sent by RO, UPPCB, Sonbhadra, U.P. Pollution Control Board has issued closure order to the said mining lease vide letter dated-19.02.2024 after giving due opportunity as per law (Annexure No.2).
3. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said mining lease for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the project proponent (Annexure No.3).
4. In order to ensure the effective compliance of closure order issued to the said mining lease by UPPCB vide letter dated 19.02.2024, District Magistrate, Mirzapur has directed to Mining Officer, Mirzapur vide reference no. G0228/OA-521/2022/ 2023 dated 04.03.2024 (Annexure No.4).
5. The presentation of the project proponent against closure order dated 19.02.2024 has not received as per available records in this office.

Accordinlgy above, the Status Report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 12.07.2024

12/07/2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
U.P.P.C.B
Sonbhadra

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० / Ref. No H05701/ C-2/NGT-67/SCN/2024 — दिनांक / Date 12.01.2024

सेवा में,

मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ

यह कि खनन पट्टाधारक मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ द्वारा गाटा सं0 180/2 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम–भगौतीदेई तहसील–चुनार, जनपद मिर्जापुर पर खनन कार्य हेतु लीज निर्गत है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन पट्टा इकाई द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति एवं बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नही पाया गया। जिससे स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानो का उल्लघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा खनन इकाई के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक इकाई को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है –

1. यह कि क्यों न खनन पट्टाधारक मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ द्वारा गाटा सं0 180/2 (लीज एरिया 3 एकड़), ग्राम–भगौतीदेई तहसील–चुनार, जनपद मिर्जापुर पर निर्गत माइनिग लीज की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरूद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 10000/– प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध मे अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त जारी

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबध मे उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया
Vivek Singh
19/01/2024
Vivek singh (Manager)
8052873958

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow 226 010
Phone 0522 2720828, 2720831
Fax 0522 2720764, 2720676
E mail info@uppcb.com
Website www.uppcb.com

Annexure No.2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०
Ref. No ...H07138....... सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनाँक
Date .19.02.2024

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा. कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़)

जनपद–मिर्जापुर।

यह कि मैसर्स मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ(गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, खनन के कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण नवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा–40 के अर्न्तगत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित आपकी खनन इकाई का निरीक्षण क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नही होता पाया गया। खनन इकाई को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन इकाई द्वारा संतोषजनक उत्तर राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा खनन इकाई को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बंदी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है:–

1. यह कि मैसर्स **मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ** (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मिर्जापुर को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियंता, उ0प्र0 जल निगम, मिर्जापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए प्राप्ति तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

Stone closure order

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० Ref. No ...H07179........ सी–2/एन0जी0टी0–67/2024

दिनॉक Date .19.02.2024

सेवा में,

मैसर्स मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़)
जनपद–मिर्जापुर।

विषयः मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद–मिर्जापुर में स्थापित 40 खनन परियोजनाओं को पूर्व में राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.01.2024 द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण आपकी खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में खनन परियोजना का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 08.02.2024/09.02.2024 को किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी खनन परियोजना में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से Environmental Clearance एवं Consent to Operate (CTO) में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन किया जाना परिलक्षित नहीं होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 09.02.2024 द्वारा आपकी खनन परियोजना द्वारा पर्यावरणीय क्लीयरेंस/सहमति की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण खनन पट्टा इकाई के विरूद्ध 203 दिनों के उल्लंघन अवधि हेतु रू0 10,000/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 2030000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त खनन इकाई मैसर्स मे0 एस0आर0 डेवलपर्स, प्रो0 श्रीमती रेनू सिंह पत्नी श्री संदीप कुमार सिंह, निवासी–सा.कोरोनेशन कालिंदी विले फ्लैट संख्या–402, विभूति खण्ड, गोमती नगर, जनपद–लखनऊ (गाटा सं0 180/2, लीज एरिया 3 एकड़) पर रू0 2030000/– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड–UBIN0570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में भू–राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।
3. लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com Stone closure order

Annexure No.4

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर

पत्रांक– G000 G-0228 /O.A. No. 521/2022/2023 दिनांक– 04/03/2024

आदेश

खान अधिकारी,
मीरजापुर।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–**521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** के प्रकरण में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जिलास्तरीय समिति में निहित तथ्यों के आलोक में 40 पत्थर खनन परियोजनाओं के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। तत्पश्चात् निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त अद्यतन फैक्चुअल रिपोर्ट के आधार पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के विभिन्न पत्रों दिनांकित 19.02.2024 द्वारा 40 पत्थर खनन परियोजनाओं को बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश अधोहस्ताक्षरी को खनन परियोजना बन्द कराये जाने के अनुरोध के साथ पृष्ठांकित है। उक्त की सूची एवं बन्दी आदेशों की प्रति संलग्न है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उक्त प्रकरण की अग्रिम नियत सुनवाई तिथि 12.03.2024 से पूर्व प्रश्नगत 40 पत्थर खनन परियोजनाओं की बन्दी सुनिश्चित/खनिज का खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। उक्त की सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित किये जाने वाले पत्रालेख के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

पत्रांक व तद्दिनांकः–
प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।